पंचायती राज मंत्रालय

मांग संख्या 68

पंचायती राज मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	673.98	...	673.98	790.79	...	790.79	719.21	...	719.21	825.17	...	825.17
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**673.98**	**...**	**673.98**	**790.79**	**...**	**790.79**	**719.21**	**...**	**719.21**	**825.17**	**...**	**825.17**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	19.09	...	19.09	20.79	...	20.79	19.21	...	19.21	20.17	...	20.17
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
कार्य अनुसंधान और प्रचार												
2. कार्य अनुसंधान	2.50	...	2.50	4.00	...	4.00	1.80	...	1.80	3.00	...	3.00
3. अंतर्राष्ट्रीय अंशदान	2.08	...	2.08	2.10	...	2.10	2.10	...	2.10	0.20	...	0.20
4. मीडिया एवं प्रचार	8.00	...	8.00	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	15.00	...	15.00
जोड़-कार्य अनुसंधान और प्रचार	**12.58**	**...**	**12.58**	**17.10**	**...**	**17.10**	**14.90**	**...**	**14.90**	**18.20**	**...**	**18.20**
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)												
5. पंचायत भवनों में एटीएम सेवाएं	...	...	...	10.00	...	10.00	...	...	...	...	...	...
6. क्षमता निर्माण - पंचायत सशक्तिकरण अभियान (सीबीपीएसए) / राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	592.76	...	592.76	691.90	...	691.90	638.10	...	638.10	720.80	...	720.80
7. पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण	33.00	...	33.00	34.00	...	34.00	34.00	...	34.00	46.00	...	46.00
8. ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना	16.55	...	16.55	17.00	...	17.00	13.00	...	13.00	20.00	...	20.00
जोड़-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)	**642.31**	**...**	**642.31**	**752.90**	**...**	**752.90**	**685.10**	**...**	**685.10**	**786.80**	**...**	**786.80**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**654.89**	**...**	**654.89**	**770.00**	**...**	**770.00**	**700.00**	**...**	**700.00**	**805.00**	**...**	**805.00**
कुल जोड़	***673.98***	***...***	***673.98***	***790.79***	***...***	***790.79***	***719.21***	***...***	***719.21***	***825.17***	***...***	***825.17***
ख. योजना परिव्यय												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
आर्थिक सेवाएं												
1. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	654.89	...	654.89	693.00	...	693.00	630.00	...	630.00	724.50	...	724.50
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	19.09	...	19.09	20.79	...	20.79	19.21	...	19.21	20.17	...	20.17
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**673.98**	**...**	**673.98**	**713.79**	**...**	**713.79**	**649.21**	**...**	**649.21**	**744.67**	**...**	**744.67**
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	77.00	...	77.00	70.00	...	70.00	80.50	...	80.50
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**77.00**	**...**	**77.00**	**70.00**	**...**	**70.00**	**80.50**	**...**	**80.50**
कुल जोड़	**673.98**	**...**	**673.98**	**790.79**	**...**	**790.79**	**719.21**	**...**	**719.21**	**825.17**	**...**	**825.17**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **कार्य अनुसंधान:** पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं, मुख्य रूप से इसे बेहतर नीति निर्माण के एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने, के बारे में कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन करने के लिए ग्रामीण विकास के क्षेत्रों एवं मूल्यांकन में विशेषीकृत अनुभव वाले शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3. **अंतर्राष्ट्रीय अंशदान:** प्रावधान स्थानीय गवर्नेंस के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान के लिए है।

4. **मीडिया एवं प्रचार:** मीडिया और प्रचार का इरादा व्यापक सूचना प्रदान करना तथा श्रव्य एवं दृश्य प्रचार तथा प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआईज) के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न करना है।

5. **पंचायत भवनों में एटीएम सेवाएं:** अगले साल के लिए यह योजना लागू नहीं की जा रही है।

6. **क्षमता निर्माण - पंचायत सशक्तिकरण अभियान (सीबीपीएसए) / राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए):** राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को 1 अपैल, 2018 से आरंभ करने का प्रस्ताव है। आरजीएसए बुनियादी सेवाओं की प्रदायगी और विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समेकित कार्य के लिए पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करेगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के पहलुओं पर विशेष जोर देने के साथ सभी हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सुविधाओं को समर्थन देने और उसमें वृद्धि करने के लिए व्यापक प्रयास किए जाएंगे।

7. **पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण:** पंचायती राज मंत्रालय, विशेष प्रयास करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2011-12 से पुरस्कारों के माध्यम से सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण करता है; पंचायतों और ग्राम सभाओं के लिए मॉडल तैयार करता है। वर्ष 2016-17 से योजनाओं को मामूली संशोधनों के साथ नवीनीकृत किया गया है और इसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) का एक भाग/उप योजना बनाने का प्रस्ताव है। प्रति वर्ष 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले पंचायती राज दिवस के अवसर पर पुरस्कार दिए जाते हैं।

8. **ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना:** ई-पंचायत के अंतर्गत पंचायतों के आंतरिक आटोमेशन के लिए तथा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु देश की सभी पंचायतों के माध्यम से इलैक्ट्रानिक सेवा प्रदायगी सुगम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायतों के आयोजना, बजटन, कार्यान्वियन, लेखाकरण, निगरानी, सामाजिक लेखा परीक्षा और प्रमाण-पत्र, लाइसेंस आदि जारी करने जैसी सेवाओं की प्रदायगी सहित पंचायतों के कार्यो के विभिन्न पहलुओं का समाधान करने के लिए अनुप्रयोगों का एक सुइट तैयार किया गया है।